न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 42/2026

GCMS No.—2026/55

सोनी देवी पत्नी कालूराम मीणा निवासी ग्राम बास बिलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 नायब तहसीलदार सांगानेर के विरासत नामान्तकरण संख्या 1292 (ग्राम बीलवा कलां) निर्णय दिनांक 30.03.2026 के विरूद्ध।

उपस्थितः–

1. श्री रामअवतार शर्मा, कजोड मीना अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 08.05.2026

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार, सांगानेर के निर्णय दिनांक 30.03.2026 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1292 वाके ग्राम बीलवा कलां, तहसील सांगानेर अपीलांट के हक में तस्दीक नहीं किया गया जिससे असंतुष्ट होकर 27.04.2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। पत्रावली पर ऑनलाईन नामान्तकरण की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम बास बीलवां, में स्थित आराजीयात का विरासत का नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 11.09.2000 को अपीलांट के नाम स्वीकृत हो चुका है। अपीलांट के पति के हक हिस्से की कृषि भूमि आराजीयात ग्राम बीलवा कलां में भी स्थित है जो कि कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 है0, जिसमें अपीलांट के पति स्व. पति कालू पुत्र भौरीलाल का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है एवं कुल किता 25 कुल रकबा 3.76 हैक्टेयर जिसमें अपीलांट के पति स्व. पति कालू पुत्र भौरीलाल का हिस्सा 1/20 राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। अपीलांट के पति कालू पुत्र भौरीलाल मीणा का स्वर्गवास दिनांक 26.02.1999 को हो चुका था कालू पुत्र भौरीलाल के विधिक वारिसान में एकमात्र अपीलांट ही है। स्व0 कालू व उसकी पत्नी सोनी देवी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है एवं कालू की मृत्यु के पश्चात कालू की एकमात्र विधिक वारिसान सोनी देवी अपीलांट ही है। अपीलांट अनपढ महिला है

तथा अनुसूचित जनजाति की महिला है अपीलांट की मृत्यु के पश्चात अपीलांट ने अपने पति का विरासत का नामान्तकरण ग्राम बास बीलवा में स्थित भूमि के संबंध में पटवार हल्का पटवारी से संपर्क किया तो पटवार हल्का पटवारी ने ग्राम बास बीलवा की भूमि का नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 11.01.2000 को तस्दीक कर दिया। किन्तु अपीलांट के पढी लिखी नहीं होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात अन्य राजस्व ग्राम में स्थित थी तथा उक्त राजस्व ग्राम का पटवार हल्का भी अलग होने के कारण विरासत का नामान्तकरण तस्दीक नहीं हो पाया। अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात पर दीगर व्यक्ति आये तथा अपीलांट को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट ने अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत के आधार पर तस्दीक करने बाबत ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 27.03.2026 को नामान्तकरण संख्या 1292 दर्ज किया गया तत्पश्चात उक्त नामान्तकरण प्रकिया में पटवार हल्का की रिपोर्ट के पश्चात रेस्पा0 संख्या 2 नायब तहसीलदार के समक्ष प्रेषित किया गया जिसे नायब तहसीलदार ने दिनांक 30.03.2026 को उक्त नामान्तकरण बिना कोई स्पीकिंग आदेश दिये खारिज फरमा दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गयी है। स्व0 कालू पुत्र भौरीलाल का एकमात्र विधिक वारिस अपीलांट ही है अपीलांट के कोई जायन्दा संतान अपने पति से उत्पन्न नहीं हुई तथा अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात के सहारे से अपना भरण पोषण व जीवन यापन कर रही है। अपीलांट के आवेदन के पश्चात पटवारी हल्का बीलवाकलां द्वारा विधिवत जांच कर विधिवत रूप से तथा आस पडोस के व्यक्तियों तथा गांव के सरपंच व मौजिज व्यक्तियों से जानकारी करने के पश्चात विधिवत रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट के नाम से भरा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी न्यायिक विवेक लगाये ही नामान्तकरण को निरस्त कर दिया इसलिये अपीलाधीन आदेश काबिले खारिज किये जाने योग्य है। बाई ओपरेशन ऑफ लॉ (एबियेन्स ऑफ सक्सेशन) स्वतः मृतक के विधिक वारिसान के नाम विधिक रूप से खातेदारी दर्ज करने का दायित्व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 का है। इस प्रकार रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने दायित्व से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1292 पर पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 को खारिज किया जाकर अपीलांट का विधिक वारिसान के रूप में विरासत का नामान्तकरण स्वीकार किया जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण नायब तहसीलदार धौला द्वारा नियमानुसार खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण खारिज किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1292 वाके ग्राम बीलवां कलां, तहसील सांगानेर

की ऑनलाईन प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया। जिसके पश्चात नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण में प्रभावित पक्षो द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का निस्तारण एल.आर.एक्ट के तहत होने के पश्चात उक्त निर्णयानुसार भर कर पेश करे की रिपोर्ट के साथ अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र पेश किया गया है, साथी ही स्व0 कालूराम की बास बीलवां स्थित भूमि का नामान्तकरण संख्या 29 में अपीलांट का नाम सोनी बेवा कालूराम अंकित है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांट स्व0 कालूराम पुत्र भौरीलाल की पत्नी है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट का स्व0 कालूराम की विधिक पत्नी होने संबंधी समस्त दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन नहीं किया गयाा जो न्यायिक प्रकिया के तहत न्यायोचित नहीं है। राज0 भू राजस्व अधिनियम, राज0 काश्तकारी अधिनियमों में निहित प्रावधानो के अनुसार मृतक व्यक्ति के नाम खातेदारी नहीं रह सकती है एवं प्रकरण में लम्बे समय से अपीलाधीन भूमि की खातेदारी मृतक व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो न्यायोचित नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायाहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1292 वाके ग्राम बीलवां कलां, तहसील सांगानेर के संबंध में पारित आदेश दिनांक 30.03.2026 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के समस्त दस्तावेजात का भलीभांति अवलोकन कर स्व0 कालूराम पुत्र भौरीलाल जाति मीणा के विधिक वारिस के हक में उपरोक्त वर्णित तथ्यों की रोशनी में नामान्तकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सांगानेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर